भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2006

सं. 1–2/2006–बी एण्ड सीएस.– भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (के) के प्रावधान तथा धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (डी) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा फाइल सं. 13–1/2004–रिस्ट्र से निर्गत अधिसूचना सं. 39 (एस.ओ. सं. 44 (ई) तथा 45 (ई) दिनाँक 09/01/2004) के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (बी) के पैराग्राफ (ii), (iii) तथा (iv) तथा उपधारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित आदे ा जारी करता है :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

(i) यह आदे ा "दूरसंचार (ब्राडकास्टर तथा केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (चौथा) सं ोधन) आदे ा, 2006 (2006 का 2) कहा जाएगा।

(ii) यह आदे ा संपूर्ण भारत में लागू होगा।

(iii) यह आदे ा इसके सरकारी राजपत्र में प्रका ान की तारीख से लागू होगा।

2. (i) दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ आदे ा, 2004 (2004 का 6) में वर्तमान उपखण्ड (घ) के बाद खण्ड 2 तथा उससे संबंधित प्रविश्टि के अंतर्गत निम्नलिखित उपखण्ड तथा इनसे संबंधित प्रविश्टि को क्रम ाः उपखण्ड (घघ) तथा (घघघ) के रूप में जोड़ा जाएगा :

"(घघ) 'सामान्य केबल सब्सक्राइबर' का आ ाय किसी ऐसे व्यक्ति से है, जो केबल ऑपरेटर से ब्राडकास्टिंग सेवाएं प्राप्त करता/करती है तथा उसका उपयोग अपने घरेलू प्रयोजनों के लिए करता/करती है।

(घघघ) 'वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर' का आ ाय मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अथवा केबल ऑपरेटर से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति से है, जो उसके द्वारा ब्राडकास्टर, मल्टी सिस्टम

ऑपरेटर अथवा केबल ऑपरेटर, जैसा भी मामला हो, को संसूचित स्थान पर ब्राडकास्टिंग सेवा प्राप्त करता है तथा ऐसे सिगनलों का उपयोग उस स्थान का इस्तेमाल करने वाले अपने ग्राहकों, सदस्यों अथवा किसी अन्य श्रेणी अथवा समूह के व्यक्तियों के लाभ के लिए करता है।"

व्याख्यात्मक टिप्पणी

सामान्य केबल सब्सक्राइबर तथा वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर के बीच अन्तर, उनके द्वारा सिगनलों के उपयोग के अन्तर के संदर्भ में किया गया है। सामान्य केबल सब्सक्राइबर इसका इस्तेमाल अपने स्वयं के उपयोग के लिए या अपने परिवार, मेहमानों आदि के उपयोग के लिए करता है, जबकि वाणिज्यिक सब्सक्राइबर, जिसमें वाणिज्यिक तथा अन्य संस्थान जैसे कि होटल, रेस्त्रां, क्लब, गेस्ट हाउस आदि भाामिल हैं, सिगनलों का इस्तेमाल अपने ग्राहकों, सदस्यों अथवा उस संस्थान में आने वाले आगुन्तकों के लाभ के लिए करते हैं।"

(ii) दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ आदे ा, 2004 (2004 का 6) के खण्ड 2 के अन्तर्गत मौजूदा खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"(च) 'प्रभार' का आ ाय है

(i) वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों के अलावा, अन्य सभी के मामले में एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को 26 दिसम्बर, 2003 को विद्यमान लिखित/मौखिक करार के कारण देय कर (करों को छोड़कर)। 26 दिसम्बर, 2003 को विद्यमान लिखित/मौखिक करार में लागू सिद्धान्त ही "दर" भाब्द के क्षेत्र के निर्धारण के लिए लागू किया जाना चाहिए।

(ii) वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों के मामले में एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को 1 मार्च, 2006 को विद्यमान लिखित/मौखिक करार के कारण देय कर (करों को छोड़कर)। 1 मार्च, 2006 को विद्यमान लिखित/मौखिक करार में लागू सिद्धांत ही "दर" भाब्द के क्षेत्र के निर्धारण के लिए किया जाना चाहिए।

3. दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ आदे ा, 2004 (2004 का 6) के खण्ड 3 में मौजूद उपखण्ड (क) तथा उससे संबंधित प्रविश्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"(क) सामान्य केबल सब्सक्राइबर से केबल ऑपरेटर को"

4. दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ आदे ा, 2004 (2004 का 6) के मौजूदा खण्ड 3 तथा उससे संबंधित प्रविश्टियों के बाद निम्नलिखित खण्ड तथा उससे संबंधित प्रविश्टि खण्ड 3 क के रूप में जोड़ी जाए :

"3क : वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों द्वारा केबल ऑपरेटरों, मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों अथवा ब्राडकास्टरों, जैसा भी मामला हो, को भुगतान किए जाने वाले प्रभारों, करों को छोड़कर, के मामले में 1 मार्च, 2006 को विद्यमान प्रभार ही फ्री टु एयर तथा पे चैनल दोनों के मामले में अधिकतम सीमा होगी।

परन्तु, यदि कोई नया पे चैनल जिसे 1.3.2006 के बाद भाुरू किया जाता है अथवा कोई चैनल जो 1.3.2006 को फ्री टु एयर चैनल था तथा जिसे बाद में बदलकर पे चैनल कर दिया गया हो, के मामलों में ऊपर उल्लिखित अधिकतम सीमा बढ़ाई जा सकती है लेकिन ऐसा तभी किया जा सकता है जब नए चैनल को एकल (स्टैंड अलोन) आधार पर या तो अलग या नए अलग चैनल समूह के भाग के रूप में मुहैया कराया जाए और नए चैनल को 1.3.2006 को ब्राडकास्टर द्वारा मुहैया कराए जा रहे चैनल समूह में भाामिल नहीं किया जाए। अधिकतम सीमा से ऊपर उल्लिखित वृद्धि नए चैनल तक ही सीमित रहेगी। नए पे चैनल तथा उन चैनलों के लिए, जो 1.3.2006 को फ्री टु एयर चैनल थे और जो बाद में पे चैनल में बदल दिए गए, दर समान प्रकार के चैनलों की 1.3.2006 की दरों के समान होनी चाहिए।

परन्तु यह भी कि यदि कोई ब्राडकास्टर अथवा सभी सिस्टम ऑपरेटर अथवा केबल ऑपरेटर 1.3.2006 को द ााए जा रहे पे चैनलों की संख्या में कमी करता है तो अधिकतम प्रभार 1.3.2006 को समान प्रकार के चैनलों की दरों को ध्यान में रखकर कम की जाएगी।"

5. व्याख्यात्मक ज्ञापन

इसे आदे ा के अनुबंध क में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया गया है

आदे ाानुसार,

राके ा कक्कड़, कार्यवाहक सचिव एवं सलाहकार (बी एंड सी एस)

[विज्ञापन III/IV/असा./142/05]

<u>**अनुबंध – क**</u>

<u>व्याख्यात्मक ज्ञापन</u>

होटलों तथा रेस्त्रां के दो एसोसिए ानों ने प्रमुख ब्राडकास्टरों के विरूद्ध टीडीसैट में याचिकाएं दायर की थीं। यह विवाद मूलतः इस बात के लिए था कि क्या होटल तथा रेस्त्रां को केबल टीवी सेवा के प्रावधान के संबंध में घरेलू उपभोक्ताओं के समान माना जा सकता है तथा साथ ही न्याय निर्णय के लिए दूसरे सम्बद्ध तथा परिणामी मुद्दे भी उठाए गए थे। माननीय टीडीसैट ने दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग तथा केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ आदे ा, 2004 (2004 का 6) के प्रावधानों के आलोक में 2005 की याचिका सं. 32(सी) (2005 की एम.ए. सं. 84) और 2005 की याचिका सं. 80 (सी) (2005 की एम.ए. सं. 239) के आलोक में 17 जनवरी, 2006 को इस विवाद पर निर्णय देते हुए अन्य बातों के साथ–साथ यह टिप्पणी की कि :

> "36.......................... हमारा पहले ही यह निश्कर्श है कि याचिकाकर्त्ता एसोि ाए ान के सदस्यों को सब्सक्राइबर या उपभोक्ता नहीं माना जा सकता है। अतः हमारी राय है कि ट्राई की उपर्युक्त टैरिफ अधिसूचना लागू नहीं की जाएगी। ऐसा प्रतीत होता है कि ट्राई ने घरेलू प्रयोजनों के लिए ही टैरिफ निर्धारित करना आव यक समझा है। हम सोचते हैं कि विनियामक को यह भी विचार करना चाहिए कि क्या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए टैरिफ निर्धारित करना आव यक है या नहीं जिससे ज्यादा स्पश्टता बने और इस बारे मे किसी भी प्रकार के विवाद से बचा जा सके।"
>
> 37. उपर्युक्त को देखते हुए, हमारी राय है कि प्रतिवादियों के यह अधिकार क्षेत्र में है कि याचिकाकर्त्ता एसोसिए ानों के सदस्यों से यह मांग करें कि वे अपने मेहमानों अथवा ग्राहकों के वास्तविक उपयोग के लिए सिगनल प्राप्त करने के लिए समुचित भार्तों पर और इस संबंध में ट्राई द्वारा तैयार किए गए विनियमों के अनुसार उनके साथ अथवा उनके प्रतिनिधियों के साथ करार करें।"

2. ट्राई को फेडरे ान ऑफ होटल एण्ड रेस्टोरंट एसो0 ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ–साथ अनुरोध किया कि :

> (i) ट्राई को प्रभावित व्यक्तियों, जिसमें होटल तथा रेस्त्रां भी भाामिल हैं, को प्रस्तावित टैरिफों के विरूद्ध अभ्यावेदन देने का समुचित मौका देने के बाद सामान्य प्रक्रिया के अनुसार होटलों के लिए टैरिफ निर्धारित करना चाहिए।

(ii) ट्राई को आदे ा जारी कर ब्राडकास्टरों को कहना चाहिए कि वे तब तक, जब तक कि ट्राई द्वारा विनियम निर्धारित नहीं कर दिया जाता, होटलों तथा रेस्त्रां पर मनमाने दर प्रभारित न करें।

3. प्राधिकरण ने माननीय टीडीसैट की टिप्पणियों तथा माननीय अधिकरण के निर्णय के संदर्भ में एफएचआरएआई के अभ्यावेदन पर विचार किया। वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए टैरिफ निर्धारित करने या निर्धारित न करने की आव यकता तथा वि ाश्ट वाणिज्यिक टैरिफ निर्धारित करने की कार्यविधि तथा तरीके से संबंधित मुद्दे आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं और इन पर विस्तृत पराम ाि करने तथा उसकी जांच करने की आव यकता है। प्राधिकरण इस संबंध में अलग से विचार कर रहा है।

4. इस बीच माननीय टीडीसैट की टिप्पणियों तथा एफएचआरएआई के अभ्यावेदन पर विचार करते हुए प्राधिकरण ने अंतरिम तौर पर वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को भी अधिकतम सीमा की सुरक्षा प्रदान करना उचित समझा है। परन्तु वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर के मामले में यह सुरक्षा गैर–वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से भिन्न 1 मार्च, 2006 के स्तर पर उपलब्ध होगी। इसे प्रभावी करने के लिए सामान्य केबल सब्सक्राइबर, वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर भाब्दों को परिभाशित किया गया है तथा 'प्रभार' की परिभाशा सं ाोधित की गई है तथा वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर के मामले में अधिकतम सीमा के निर्धारण से संबंधित तारीख लागू करने के लिए एक नया खण्ड जोड़ा गया है।

5. प्रस्तावित सं ाोधन अल्प कालिक उपाय है तथा पैरा 3 में यथा–उल्लिखित विस्तृत जांच के आधार पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

*****